

प्रधानमंत्री मोदी ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का कया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश की कुम्हार अनीता प्रजापतिका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्रीबिजिन सेंटर यशोभूमिका लोकार्पण भी किया।

प्रमुख बंदि

- प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना की टैग लाइन, प्रतीक-चन्हि और पोर्टल को लांच किया तथा कारीगरी की 18 वधियों पर केंद्रति 18 डाक टिकटों और टूल-कटि बुकलेट का वमिोचन किया। प्रधानमंत्री ने 18 वधियों से जुड़े कारीगरों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानति भी किया।
- प्रधानमंत्री के जन्म-दविस पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान भोपाल से वरचुअली शामिल हुए। भोपाल में रवदिर भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं कसिान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सहि तोमर भी उपस्थति थे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान ने अखलि भारतीय दसतकारी परीक्षा में प्रदेश की आईटीआई के उत्कृषट प्रदर्शन करने वाले वदियार्थियों को सम्मानति किया। प्रथम स्थान वाली दो छात्राओं बैतूल की अंकति, ग्वालियर की सपना कुशवाहा तथा दो छात्रों भोपाल के वविक साहू और ग्वालियर के हेमंत राठौर सहति कुल 20 प्रशकषणार्थियों को सम्मानति किया।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना**
 - इस योजना से देश के कौशल-तंत्र को राष्ट्र के कारीगरों की ज़रूरतों के अनुरूप ढाला जा रहा है। योजना का लाभ उठाकर परंपरागत कारीगर अपनी सकलि को सकेल दे पाएंगे।
 - योजना से हर ज़लि के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशकषण एवं आर्थिक सहायता देकर, उनके हुनर, कला और प्रतभिा को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापति किया जाएगा।
 - योजना में ज़लि स्तर पर बढई, लोहार, सुनार जैसे शलिपकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकतानुरूप इन्हें प्रशकषण भी दया जाएगा। प्रशकषण में हर दनि 500 रुपए का स्टाइपेंड मलिगा।
 - प्रशकषण एवं कौशल सत्यापन के बाद इन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र दया जाएगा। हर लाभार्थी को 15 हज़ार रुपए टूल-कटि के लयि दयि जाएंगे। अपना व्यवसाय प्रारंभ करने या बढाने के लयि आसान ऋण सुवधि दी जाएगी।
 - पहले चरण में 5% की दर से एक लाख रुपए का कोलेटरल-फ्री ऋण, दूसरे चरण में तीन लाख रुपए का ऋण प्रावधान है।
 - कारीगर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहयि। योजना का लाभ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य तक ही सीमति रहेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यकर्ता या उसके रशितेदार पात्र नहीं होंगे।





PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prime-minister-modi-launches-pm-vishwakarma-yojana>

